न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0) धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – डॉ साधना शर्मा (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 69/2023

1. सुरेश । पुत्रगण नारायणसिंह
2. मलखान ।
3. देशराज ।
4. मीरा पत्नी विद्याराम
5. संदीप
6. अजय । नाबालिगान पुत्रगण विद्याराम
7. दीपक । वसरपरस्ती मॉ मीरा
8. विजय ।

जातिगण कुशवाह निवासीगण ग्राम भिलगंवा (सरानीखेड़ा) तहसील व जिला धौलपुर

....वादीगण

बनाम

भगतसिंह पुत्र अंगना जाति कुशवाह निवासी ग्राम भिलगंवा तहसील व जिला धौलपुर

.....प्रतिवादीगण

दावा स्थाई निषेधाज्ञा आधीन धारा 188, आरटीए।

निर्णय दिनांक 26.05.2025

वादीगण ने दावा इस आशय का पेश किया है, कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 874/24 बाकै ग्राम भिलगंवा तहसील व जिला धौलपुर के वादीगण खातेदार काश्तकार है, और इसी हैसियत से काबिज काश्त है। प्रतिवादी का विवादित आराजी से कोई संबंध सारोकार नहीं है। प्रतिवादी समर्थवान व्यक्ति है इस कारण अपनी सामर्थ्य के बल पर वह अपने अन्य सहयोगियों के सहयोग से विवादित आराजी में होकर रास्ता कायम करना चाहता है। जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। दिनांक 25.09.2023 को प्रतिवादी अपने अन्य सहयोगियों के साथ आया और बोला कि वह विवादित आराजी में जे.सी.बी. से रास्ता डालेगा, यदि वादीगण ने उसे रोकने का प्रयास किया तो सभी को देख लूंगा। प्रतिवादी की उक्त धमकी से घबरा कर वादीगण उक्त दावा प्रस्तुत करने के लिए मजबूर हो गये। प्रतिवादी के वादीगण की विवादित आराजी पर जबरन कब्जा कर रास्ता निकालने की कोशिश तथा वादीगण को दी गई धमकी के कारण प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया है।

दावा वादीगण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी की ओर से अशोक दिवाकर एडवोकेट ने उपस्थित आकर जबाबदावा मय काउण्टर क्लेम प्रस्तुत किया कि वादीगण ने दावा विवादित आराजी व प्रतिवादी के आराजी खसरा नम्बर 874/24, 875/24, 2356/2897, 2356, 2355 में स्थित 15 फुट चौड़े रास्ते में हो रहे प्रतिवादी व अन्य खातेदारों के कृषि उपकरण लाने–ले जाने व आवागमन को अवरूद्ध करने के लिए पेश किया गया है। प्रतिवादी आराजी खसरा नम्बर 20 बाकै ग्राम भिलगंवा व आराजी खसरा नम्बर 2349 बाकै ग्राम खेड़ा तहसील व जिला धौलपुर तक आने जाने व कृषि कार्य हेतु व उपकरण लाने– ले जाने के लिए खसरा नम्बर 875/24, 874/24, बाकै ग्राम भिलगंवा व खसरा नम्बर 2356/2897, 2356 एवं 2355 बाकै ग्राम खेड़ा के खातेदारों की सहमति से 15 फुट चौड़े आम रास्ता स्थित है से आवागमन करता आ रहा है। जिसे नक्शा संलग्न जबाब मय काउण्टर क्लेम में लाल रंग से दर्शित किया गया है। जबाबदावा मय काउण्टर क्लेम में लाल रंग से दर्शित रास्ते के अलावा प्रतिवादी को अपनी आराजी में आने'–जाने के लिए अन्य कोई नजदीक व सुगम वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। वादीगण हाजा वाद के माध्यम से गलत कथनों जबरन लट्ठ के बल पर प्रतिवादी के आवागमन हेतु 15 फुट एकमात्र रास्ता को बंद करके प्रतिवादी की कृषि कार्य करने की आवाजाही को बाधित पक्की दीवार बनाकर बंद करने पर अमादा है। इसलिए प्रतिवादी ने काउण्टर क्लेम प्रस्तुत कर वादीगण की आराजी खसरा नम्बर 875/24, 874/24 बाकै ग्राम भिलगंवा एवं खसरा नम्बर 2356/2897, 2356, 2355 बाकै ग्राम खेड़ा के बाबत् अधीन धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत गैर मुमकिन रास्ता घोषित कर वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कराने व वादीगण को स्थाई

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने कि उक्त रास्ता में आवाजाही हेतु प्रतिवादी को ना रोकने का निवेदन किया है।

वकील उभयपक्ष की हाजा प्रकरण पर बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने कथन किया कि प्रतिवादी का विवादित आराजी से कोई संबंध सारोकार नहीं है। और ना ही उनका कोई हित निहित है। विवादित आराजी वादीगण की खातेदारी की आराजी है। तथा वादी को अपनी आराजी के बाबत् प्रतिवादीगण को पाबंद कराने का पूर्ण अधिकार है। व प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत 251 ए राज0 काश्त0 अधि0 के तहत काउण्टर क्लेम को हाजा न्यायालय से अनुतोष प्राप्त नहीं हो सकता है। प्रतिवादी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के यहाँ 251 ए आरटीए के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रखा हैं, एक विषय पर दो न्यायालय में विचारण नहीं किया जा सकता है। प्रतिवादी ने अपने काउण्टर क्लेम में उक्त तथ्यों को छिपाया है, इसलिए प्रतिवादी का काउण्टर क्लेम खारिज किये जाने व वादीगण का दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

वकील प्रतिवादी ने कथन किया है, वादीगण ने पूर्व से ही चले आ रहे रास्ते को रोकने हेतु दावा पेश किया है। वादीगण की आराजी में पूर्व से ही रास्ता था, वर्षो से प्रतिवादी व अन्य आराजी के काश्तकार उस आराजी का उपयोग–उपभोग करते आ रहे है। इसलिए वादीगण अब उक्त रास्ते को रोकने के अधिकारी नहीं है। प्रतिवादी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर में भी 251 ए का प्रकरण रास्ता प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया है। इस न्यायालय में काउण्टर क्लेम इसलिए पेश किया है, कि वादीगण ने पूर्व से ही चालू रास्ते के बारे में न्यायालय को नहीं बताया है। इसलिए दावा वादीगण खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

वकील उभयपक्ष की बहस का मनन किया, पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजातों का अवलोकन किया। वादीगण विवादित आराजी खसरा नम्बर 874/24 बाकै ग्राम भिलगंवा तहसील व जिला धौलपुर के खातेदार काश्तकार है। और इसी हैसियत से काबिज काश्त है। वादीगण ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 188 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है। धारा 188 के अधीन अनुतोष पाने के लिए वादी को स्वयं का टेनेन्ट साबित करना एवं कब्जा साबित करना आवश्यक होता है। पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबन्दी सम्वत् 2076 –79 के अनुसार वादीगण विवादित आराजी के खातेदार कृषक है, जिस कारण वादीगण धारा 188 आर.टी.एक्ट के तहत स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत काउण्टर क्लेम अधीन धारा 251 ए आरटीए से रास्ता सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के न्यायालय से प्राप्त कर सकता है, प्रतिवादी द्वारा उक्त न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत कर रखा है तथा वर्तमान में विचाराधीन है। इस लिए एक ही प्रश्न पर इस न्यायालय में विचारण करना न्यायालय उचित नहीं समझती है, प्रतिवादी सक्षम न्यायालय से चाराजोही कर उक्त अनुतोष प्राप्त कर सकता है। अतः हम उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीगण का वाद डिक्री किया जाना तथा काउण्टर क्लेम प्रतिवादी खारिज किया जाना न्यायोचित समझते है।

आदेश

अतः आदेश है कि दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह विवादित आराजी खसरा नम्बर 874/24 बाकै ग्राम भिलगंवा तहसील व जिला धौलपुर में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें। काउण्टर क्लेम प्रतिवादी खारिज किया जाता है। प्रतिवादी सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर रास्ता प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 26.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर मुख्यालय धौलपुर (राज0)

(डॉ साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मु0
धौलपुर

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई

अज अदालत : सहायक कलक्टर मु0 धौलपुर

व इजलास : डॉ साधना शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 69 / 2023

1. सुरेश । पुत्रगण नारायणसिंह 2. मलखान । 3. देशराज । 4. मीरा पत्नी विद्याराम 5. संदीप 6. अजय । नाबालिगान पुत्रगण विद्याराम 7. दीपक । वसरपरस्ती माँ मीरा 8. विजय ।	जातिगण कुशवाह निवासीगण ग्राम भिलगंवा (सरानीखेड़ा) तहसील व जिला धौलपुर ....वादीगण

बनाम

भजनसिंह पुत्र अंगना जाति कुशवाह निवासी ग्राम भिलगंवा तहसील व जिला धौलपुर

............प्रतिवादीगण

दावा स्थाई निषेधाज्ञा आधीन धारा 188, आरटीए।

आज यह मुकदमा इनफिसाल कतई रूबरू मुझ डॉ साधना शर्मा (आर.ए.एस.) व हाजिरी श्री राहुल राना एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई एवं श्री अशोक दिवाकर एडवोकेट मिनजानिब मुद्यालह ने पेश होकर हुक्म दिया जाता है, कि दावा वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वह विवादित आराजी खसरा नम्बर 874 / 24 बाकै ग्राम भिलगंवा तहसील व जिला धौलपुर में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करें। काउण्टर क्लेम प्रतिवादी खारिज किया जाता है। प्रतिवादी सक्षम न्यायालय में चाराजोही कर चरास्ता प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है।

बशब्द मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से निर्णय दिनांक 26.05.2025 के संदर्भ में आज दिनांक 26.05.2025 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर मुख्यालय धौलपुर (राज0)

(डॉ साधना शर्मा)
उपखण्डाधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मु0
धौलपुर

उपखण्डाधिकारी पदेन
सहायक कलक्टर मुख्यालय
धौलपुर (राज0)